सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 25, बुधवार, *शाके* 1945-फरवरी 14, 2024 *Magha 25 Wednesday , Saka 1945- February 14 , 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 09, 2024

जी.एस.आर.153 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम,1978 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 11 का प्रतिस्थापन.- राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**11. आयु.-** अनुसूची-1 में प्रगणित किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को **21** वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए: परन्तु,-

(i) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को,-

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक;

(ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक; और

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक;

शिथिल किया जायेगा।

(ii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iii) भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iv) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारंभिक रूप से नियुक्त किये जाने के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक अनुज्ञात किये जायेंगे;

(v) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा;

(vi) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग/ बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे;

(vii) राज्य, पंचायत समिति, जिला परिषद् तथा राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम / निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी;

(viii) विधवा ओं और विच्छिन्न विवाह-महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:- विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न-विवाह के मामले में, उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा;

(ix) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह तीन वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है; और

(x) ऐसा व्यक्ति, जो 31.12.2020 को आयु सीमा में था, 31.12.2024 तक आयु सीमा में ही समझा जायेगा।"

3. नियम 21क का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 21क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**21क. परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण.-** (1) आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट स्कीम के अनुसार दो प्रक्रमों अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों जिन्हें मुख्य परीक्षा के प्रवेश

हेतु अर्हित घोषित किया गया है, प्रारंभिक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंको को उनका अन्तिम योग्यताक्रम अवधारित करने के लिए नहीं गिना जायेगा।

(2) मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों (प्रवर्गवार) की कुल संख्या का पंद्रह गुना होगी किन्तु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को, जिन्होंने वही अंक अर्जित किये हों जो निम्नतर रेंज के लिए आयोग द्वारा नियत किये जायें, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा:

परन्तु यदि आयोग कि यह राय हो कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए साधारण मानदण्ड के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो आयोग द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिलित मानदण्ड लागू किया जा सकेगा ताकि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उस प्रवर्ग में के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो जाये। इस प्रयोजन के लिए विचार की संख्या-सीमा, रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या का पंद्रह गुना तक शिथिल रहेगी। तथापि, मुख्य परीक्षा के लिए इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अर्हित अभ्यर्थी, केवल संबंधित प्रवर्गों के लिए आरक्षित पदों पर ही चयन के लिए पात्र होंगे।

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजन के लिए "आरक्षित प्रवर्ग" से ऐसा कोई प्रवर्ग अभिप्रेत है जिसके लिए या तो क्षैतिज या वर्तिक आरक्षण लागू होता है।

3. आयोग ऐसे किसी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो किसी भी लिखित प्रश्नपत्र में उपस्थित होने में विफल हो गया है।

4. पाठ्य विवरण वह होगा जो अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट है।"

4. नियम 22 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 22 में विद्यमान अभिव्यक्ति "परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के आधार पर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. अनुसूची- I का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची- I के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"अनुसूची- I

क्र. सं.	पद का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती की रीति	न्यूनतम अर्हता	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहायक अभियोजन अधिकारी	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि या एकीकृत विधि	-	-	-

			पाठ्यक्रम में डिग्री (व्यावसायिक)।			

टिप्पण: इन नियमों के अधीन नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 25 के प्रयोजन के लिए सहायक लोक अभियोजक समझा जायेगा।"

6. अनुसूची- II का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची- **II** के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"अनुसूची- II

(नियम 21क देखे)

सहायक अभियोजन अधिकारी के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण

1. सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा स्कीम में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रारम्भिक परीक्षा और एक लिखित मुख्य परीक्षा होगी।
2. प्रारम्भिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी जिसमें 70 प्रतिशत अधिमान विधि प्रश्नपत्र के लिए पाठ्य विवरण में विहित विषयों को दिया जायेगा और 30 प्रतिशत अधिमान हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता परीक्षण को दिया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंक अंतिम चयन के प्रति नहीं गिने जायेंगे।
3. मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे:-

प्रश्नपत्र	विषय	अंक	समय
I	विधि	300	3 घण्टे
I I	भाषा 1. सामान्य हिन्दी 2. सामान्य अंग्रेजी	 50 50	2 घण्टे

4. प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे:

परन्तु उपरोक्त रूप से नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत तक शिथिल किया जायेगा।

5. प्रश्नपत्र- **I I** का मापदण्ड वह होगा जो सीनियर सैकण्डरी स्तर का होगा।
6. लिखित परीक्षा के हर एक प्रश्नपत्र में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
7. विधि प्रश्नपत्र को, अभ्यर्थियों का दाण्डिक विधि और प्रक्रिया तथा दाण्डिक मामलों में आरोप बनाने के प्रायोगिक ज्ञान का परीक्षण करने के लिए, डिजाइन किया गया है।
8. प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

प्रश्नपत्र	विषय
प्रश्नपत्र **I**- विधि	1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860;

	2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973; 4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; 5. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012; 6.किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015; 7. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम,1958; 8. आयुध अधिनियम, 1959; 9. राजस्थान आबकारी अधिनियम,1950; 10. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992; 11. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 ।
प्रश्नपत्र **II**- भाषा	1.सामान्य हिन्दी 2. सामान्य अंग्रेजी

टिप्पण: परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा और अभ्यर्थियों को, नियत समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।"

[सं.एफ.2(7) डीओपी/ए- II**/90]**
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
जय सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 09, 2024

G.S.R.153 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Prosecution Subordinate Service Rules, 1978, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Prosecution Subordinate Service (First Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Substitution of rule 11.- The existing rule 11 of the Rajasthan Prosecution Subordinate Service Rules, 1978, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"**11. Age.-** A candidate for direct recruitment to a post enumerated in the Schedule-I must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 40 years on the first day of January next following the last date fixed for receipt of applications:

Provided that,-

(i) the upper age-limit mentioned above shall be relaxed by,-
  (a) 5 years in the case of male candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections;
  (b) 5 years in the case of woman candidates belonging to General Category; and
  (c) 10 years in case of woman candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections;

(ii) the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/ her conviction and was eligible for appointment under these rules;

(iii) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him/her in case of ex-prisoner who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under these rules;

(iv) the persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age limit, if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission/Appointing Authority and shall be allowed upto two chances, had they been eligible as such at the time of their initial appointment;

(v) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within prescribed age limit;

(vi) the released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they

appear before the Commission/Board had they been eligible as such the time of the joining the Commission in the Army;

(vii) the upper age limit for the persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities, Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/ Corporation in substantive capacity shall be 40 years.;

(viii) there shall be no upper age-limit in the case of widow and divorced women.

Explanation: In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in the case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce;

(ix)if a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be deemed to be eligible in the next following recruitment, if he/ she is not over age by more than 3 years; and

(x) the person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

3. Substitution of rule 21A.- The existing rule 21A of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"21A. Scheme of Examination and Syllabus.- (1) The competitive examination for the recruitment to the post of Assistant Prosecution Officer shall be conducted by the Commission in two stages i.e. Preliminary examination and Main examination as per the scheme specified in Schedule-II. The marks obtained in the Preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission to the main examination will not be counted for determining their final order of merit.

(2) The number of candidates to be admitted to the main examination will be fifteen times the total number of vacancies (Category wise) to be filled in the year but in the said range all those candidates who secure the same marks as may be fixed by the Commission for any lower range will be admitted to the Main examination:

Provided that, if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to reserved category are not available on the basis of general standard for appearing in the Main examination, relaxed standard may be applied by the Commission for admitting candidates belonging to such reserved category so that sufficient number of candidates in that category are available to appear in the Main examination. For this purpose, the zone of consideration of fifteen times the total approximate number of vacancies shall stand relaxed. However, candidates so additionally qualified for the main examination will be eligible for selection to the posts reserved for respective categories only.

Note: For the purpose of this rule "reserved category" means any such category for which reservation, either horizontal or vertical is applicable.

(3) The Commission shall not recommend any candidate who has failed to appear in

any of the written papers.

(4) Syllabus shall be such as specified in Schedule-II."

4. Amendment of rule 22.- In rule 22 of the said rules, for the existing expression "on the basis of aggregate marks obtained in examination and interview", the expression "on the basis of marks obtained in examination" shall be substituted.

5. Substitution of Schedule-I.- The existing Schedule-I appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"Schedule-I

S. No	Name of the post	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Assistant Prosecution Officer	100% by direct recruitment	Degree in law (Professional) or Integrated Law Course from a University established by law in India.	-	-	-

Note: The Assistant Prosecution Officer appointed under these rules shall be deemed to be Assistant Public Prosecutor for the purpose of section 25 of the Code of Criminal Procedure, 1973."

6. Substitution of Schedule-II.- The existing Schedule-II appended to the said rules shall be substituted by the following, namely.-

"**Schedule-II**

(see rule 21A)

Scheme and Syllabus of competitive examination for the post of Assistant Prosecution Officer

1. The examination scheme for recruitment to the post of Assistant Prosecution Officer shall consist of an objective type preliminary examination and a written main examination.
2. The preliminary examination shall be objective type examination in which 70%

weightage will be given to the subjects prescribed in syllabus for law Paper and 30% weightage shall be given to test proficiency in Hindi and English language. The marks obtained in the preliminary examination shall not be counted towards the final selection.

3. The main examination shall consist of the following subjects:-

Paper	Subjects	Marks	Time
I	Law	300	3 Hours
II	Language 1. General Hindi 2. General English	 50 50	2 Hours

4. The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%:

Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

5. The standard of the paper-II will be that of Senior Secondary level.
6. It shall be compulsory to appear in each and every paper of written test.
7. Law paper is designed to test practical knowledge of the candidates in criminal law and procedure and framing charges in criminal cases.
8. The syllabus for competitive examination shall include the following :-

Paper	Subjects
Paper I – Law	**1.** The Indian Penal Code, 1860; **2.** The Indian Evidence Act, 1872; **3.** Code of Criminal Procedure, 1973; **4.** The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989; **5.** The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012; **6.** The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015; **7.** The Probation of Offenders Act, 1958; **8.** The Arms Act, 1959; **9.** The Rajasthan Excise Act, 1950; **10.** The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992; and **11.** The Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022.

Paper II – Language	**1.** General Hindi **2.** General English

Note: Detailed syllabus of each paper for the examination will be as specified by the Commission, from time to time and shall be intimated to the candidates within the stipulated time and in the manner as the Commission may deem fit."

[No. F.2(7)DOP/A-II/90]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.